सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 179
08/02/2020

राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों के लिए नये कुलपति/प्रतिकुलपति नियुक्त किये

पटना, 08 मार्च 2020

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976' (अद्यतन यथासंशोधित) तथा नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (अद्यतन यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं में अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित तीन विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति/प्रतिकुलपति पद के लिए नियुक्तियाँ कर दी है।

कुलाधिपति ने इन तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा हेतु गठित 'सर्च कमिटी' द्वारा समर्पित पैनल पर राज्य सरकार से प्रभावी एवं सार्थक विमर्श के बाद निम्नांकित व्यक्तियों को कुलपति/प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया हैः–

विश्वविद्यालय का नाम	पद का नाम	नवनियुक्त कुलपति/प्रतिकुलपति का नाम
बी॰आर॰ए॰ बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	कुलपति	प्रो॰ हनुमान प्रसाद पाण्डेय
नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना	कुलपति	प्रो॰ एच॰एन॰ प्रसाद
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	प्रतिकुलपति	प्रो॰ विभूति नारायण सिंह

नव–नियुक्त कुलपति/प्रतिकुलपति का कार्यकाल उनके प्रभार–ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होकर तीन वर्षों का होगा। उपर्युक्त संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा आज अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।

....